



आर ई सी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001(हरियाणा)

दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2763

दिनांक: 25 मार्च, 2026

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: 25 मार्च, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 और अनुसूची III के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("कंपनी/आरईसी") के निदेशक मंडल ने 25 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बाजार उधार कार्यक्रम पर विचार किया और उसे निम्नानुसार मंजूरी दी :

क्र.सं.	विवरण	₹ करोड़ में
1	<p>क) घरेलू बॉण्ड/ डिबेंचर जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो कूपन, परपेचुअल, सबऑर्डिनेट, इन्फ्लेशन- इंडेक्स्ड, टैक्स-फ्री, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, मार्केट लिंक्ड, ग्रीन बॉण्ड, एनवायर्नमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ईएसजी) बॉण्ड, पार्टली पेड, सेपरेटली ट्रांसफरेबल रिडीमएबल प्रिंसिपल पार्ट्स (एसटीआरपीपी), स्टेगरड मैच्योरिटी, क्युमुलेटिव इंटरेस्ट, स्टेप अप कूपन, बॉण्डईटीएफ का हिस्सा बनाने वाले बॉण्ड, लिक्विडिटी विंडो सुविधा वाले बॉण्डया कोई अन्य बॉण्ड/ डिबेंचर, बिना ब्याज दर स्वैप / विकल्प के साथ / बिना इसके एम्बेडेड बॉण्ड/ डिबेंचर संरचना में, जैसा कि समय-समय पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जा सकता है चाहे वह असुरक्षित / सुरक्षित हो, गैर-परिवर्तनीय हो, रिडीम करने योग्य हो, कर योग्य / कर-मुक्त हो चाहे निजी या सार्वजनिक प्लेसमेंट आधार पर;</p> <p>ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत या भारत सरकार द्वारा अनुमत किसी अन्य अधिनियम के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड ;</p> <p>ग) बैंकों / एफआई / एनबीएफसी / कॉर्पोरेट्स / अन्य संस्थानों आदि से रुपये की अवधि ऋण</p>	1,40,000

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

	घ) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जिसमें विदेशी मुद्रा सावधि ऋण , विदेशी मुद्रा बॉन्ड, रुपया ऑफशोर बॉण्ड(मसाला या कोई अन्य बॉण्ड), ग्रीन बॉण्ड, एनवायर्नमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस (ईएसजी) बॉण्ड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; निर्यात ऋण सहायता (ईसीए); आधिकारिक विकास सहायता ऋण (दीर्घ/मध्यम/अल्पकालिक); विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी); विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] ऋण; बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी/अन्य संस्थानों/बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों आदि से निर्यात ओडीए ऋण (रोलओवर को छोड़कर)।	
2	बैंकों / एफआई / एनबीएफसी / कॉर्पोरेट्स आदि से अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) 10,000 (अस्थायी ऋणों को छोड़कर यानी 6 महीने से कम अवधि के एसटीएल, कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल), नकद क्रेडिट (सीसी) सीमा, ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या इसी तरह की किसी अन्य व्यवस्था)। <i>वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए और चुकाए गए अल्पकालिक ऋणों को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।</i>	10,000
3	वाणिज्यिक पत्र <i>वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए और चुकाए गए वाणिज्यिक पत्र को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।</i>	10,000
कुल		1,60,000
नोट: 6 महीने से कम अवधि के अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) के लिए बकाया राशि / नकद क्रेडिट डब्ल्यूसीडीएलआई ओडी सुविधाएँ, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या इसी तरह की प्रकृति की कोई अन्य सुविधा वर्ष के दौरान किसी भी समय (20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह 1,60,000 करोड़ रुपये के उपरोक्त बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा।		

उपरोक्त उधार कार्यक्रम के तहत निधियाँ , निधियों की वास्तविक आवश्यकता, परिसंपत्ति-देयता स्थिति और प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर, विभिन्न परिपक्वता अवधियों और विभिन्न साधनों के माध्यम से जुटाई जाएंगी। यह प्रक्रिया निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूरी की जाएगी।

बोर्ड की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और उपरोक्त प्रस्ताव को सुबह 10:15 बजे अनुमोदित किया गया और उसके बाद अन्य प्रस्तावों के लिए बैठक स्थगित कर दी गई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी